संख्या– 3064 /77–4–21–04एन/2020

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
नौएडा/ग्रेटर नौएडा/यूपीसीडा
गीडा/सीडा एवं
यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

औद्योगिक विकास अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांक 30 जून, 2021

विषयः उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (यथा संशोधित) को औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिए अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–2640/77–4–20–04एन./2020 दिनांक 07.10.2020, शासनादेश संख्या–4580/77–4–20–04एन./2020, दिनांक 25.11.2020 एवं शासनादेश संख्या–4968/77–4–20–04एन./2020, दिनांक 10.12.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन उ0प्र0 सेवा काल में मृत सरकारी सेवक के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (यथा संशोधित) को औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिए अंगीकृत किए जाने के आदेश दिए गये हैं।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 07.10.2020, 25.11.2020 एवं 10.12.2020 को अवक्रमित करते हुए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974(यथा संशोधित) (प्रतिलिपि संलग्न) को औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के कार्मिकों के लिये निम्नलिखित शर्तों के अधीन अंगीकृत (Adopt) किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

(1) उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (यथा संशोधित) को उ0प्र0 आद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 2018 के प्रख्यापन के दिनांक 22.06.2018 की तिथि से अंगीकृत किया जाये।

(2) लिपिक/टंकक एवं कनिष्ठ सहायक के पदों पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के साथ–साथ मृतक कार्मिकों के आश्रितों से भी नियुक्ति प्रदान की जा सकेगी।

(3) औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के मृतक सेवकों के आश्रितों को उक्त नियमावली के अधीन नियुक्तियां समूह 'ग' एवं 'घ' के ऐसे गैर–तकनीकी अधीनस्थ पदों पर ही की जायें, जिनके वेतनमान का

अधिकतम पे मैट्रिक्स लेवल-4 हो, जो सामान्य नियमों के अधीन पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए आरक्षित न हों।

(4) उक्त नियमावली के अधीन कोई नियुक्ति विद्यमान रिक्ति में की जायेगी;

प्रतिबंध यह है कि यदि कोई रिक्ति विद्यमान न हो, नियुक्ति तुरन्त किसी ऐसे अधिसंख्य पद के प्रति की जायेगी, जिसे इस प्रयोजन के लिए सृजित किया गया समझा जायेगा और जो तब तक चलेगा जब तक कोई रिक्ति उपलब्ध न हो जाय।

(5) उ0प्र0 औद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 2018 प्रवृत्त होने के पूर्व के प्रकरण तत्समय प्रवृत्त नियमों के अधीन यथास्थिति वर्तमान नियुक्ति प्राधिकारी (समूह 'ग' के सम्बंध में शासन तथा समूह 'घ' के सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी) द्वारा निस्तारित किए जायेंगे।

(6) इस शासनादेश निर्गत होने की तिथि से पूर्व के निस्तारित प्रकरणों पर पुनर्विचार नहीं किया जायेगा।

(7) उ0प्र0 औद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 2018 की परिधि के बाहर के पदों यथा वाहन चालक एवं समूह 'घ' के प्रकरणों का निस्तारण नियुक्ति प्राधिकारी/मुख्य कार्यपालक अधिकारी के स्तर से इस शासनादेश के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नः यथोक्त।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-3064(1)/77-4-21 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त अनुभाग।
2. कार्मिक अनुभाग-2।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।